



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श०)

(सं० पटना 399) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

2 जुलाई 2020

एस०ओ० 135 दिनांक 2 जुलाई 2020—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 93 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005(समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :—

#### 1. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में संशोधनः—

(i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य-कर पदाधिकारी” शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर सहायक आयुक्त” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त” शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर उपायुक्त” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य-कर उपायुक्त” शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर संयुक्त आयुक्त” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त” शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर अपर आयुक्त” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में जहाँ कहीं भी “वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त” या ‘वाणिज्य-कर अपर आयुक्त’ शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर विशेष आयुक्त” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य-कर आयुक्त” शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर आयुक्त” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[(सं०सं०बिक्री-कर / संशोधन-04 / 2018-1200)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

## 2 जुलाई 2020

एस0ओ0 135 दिनांक 2 जुलाई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के आदेश से प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं०बिक्री—कर / संशोधन—04 / 2018-1200]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

*The 2<sup>nd</sup> July 2020*

S.O. 135 dated the 2<sup>nd</sup> July 2020--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of The Bihar Value Added Tax Act, 2005(Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 (as amended from time to time) with immediate effect :-

**1. Amendment in Bihar Value Added Tax Rules, 2005**

(i) The words “Commercial Taxes officer”, wherever occurring in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, shall be substituted by the words “Assistant Commissioner State Tax”.

(ii) The words “Assistant Commissioner of Commercial Taxes”, wherever occurring in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, shall be substituted by the words “Deputy Commissioner State Tax”.

(iii) The words “Deputy Commissioner of Commercial Taxes”, wherever occurring in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, shall be substituted by the words “Joint Commissioner State Tax”.

(iv) The words “Joint Commissioner of Commercial Taxes”, wherever occurring in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, shall be substituted by the words “Additional Commissioner State Tax”.

(v) The words “Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes” or “Additional Commissioner of Commercial Taxes”, wherever occurring in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, shall be substituted by the words “Special Commissioner State Tax”.

(vi) The words “Commissioner of Commercial Taxes”, wherever occurring in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, shall be substituted by the words “Commissioner State Tax”.

[(File No. Bikri-kar/Sanshodhan-04/2018--1200)]

By the order of Governor of Bihar,

**Dr. Pratima,**

*Commissioner State Tax-Cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 399-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>